



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2359

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19482 वर्ष 2025

डॉ. कृष्णा मुरारी द्विवेदी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को 28.08.1995 को प्रांतीय चिकित्सा सेवा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, फिर भी रिट याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/वी.आर.एस. के लिए आवेदन किया है जिसमें रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 1, प्रधान सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा विचार किया जाएगा।
4. अधिवक्ताओं की ओर से ऐसे प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया गया, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 1, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करे जो उक्त प्रस्ताव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार हेतु अग्रसर होगा।

7 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।